न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

/2023

तारीख फैसला
13.05.2023

उनवान

1– दीपक यादव पुत्र निरंजन स्वरूप
2– यश कंवर यादव पत्नी निरंजन स्वरूप जाति अहिर निवासी [illegible] तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से -- श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से-- तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बावत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीगण के शामलाती खाते में खाता संख्या 48 की खसरा नम्बर 718, 720, 721, 722 कुल 4 किता की 7.42 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है जिनमे वादी क्रम 1 का नाम दीपक कुमार व वादी क्रम 2 का नाम कंवर बाई दर्ज है जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 संलग्न है।

यह कि उक्त आराजी में वादी क्रम 1 का नाम दीपक कुमार व वादी क्रम 2 का [illegible] नाम कंवरबाई दर्ज कर दिया गया है जबकि समस्त दस्तावेजों में [illegible] दीपक यादव व वादी क्रम 2 का नाम यश कवर यादव है। जिससे [illegible] में परेशानी आ रही है जिसे दुरुस्त [illegible] योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी [illegible] जाना आवश्य है।

यह कि उक्त वादीगण का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, [illegible] बुक डायरी, आदि में में वादी क्रम 1 का नाम दीपक यादव व वादी क्रम 2 का नाम यश कंवर यादव है। वादीगण को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] लिखवाने का कानूनन अधिकार है इसलिए वादीगण का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 12.02.2023 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी ने [illegible] राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दुरुस्त नहीं करने की कहने पर पैदा हुआ। [illegible] अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि

सदस्य
[illegible]

[illegible]

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा मे खाता संख्या 48 की खसरा नम्बरान 718, 720, 721, 722 की किता 4 कुल रकबा 7.42 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी क्रम 1 का नाम दीपक कुमार के स्थान पर दीपक यादव व वादनी क्रम 2 का नाम कंवरबाई के स्थान पर यश कंवर यादव दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में दीपक कुमार व दीपक यादव एक ही व्यक्ति तथा कंवर बाई व यश कंवर यादव एक ही महिला होना प्रकट किया है। वादीगण द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 48 की खसरा नम्बरान 718, 720, 721, 722 की किता 4 कुल रकबा 7.42 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी क्रम 1 का नाम दीपक कुमार के स्थान पर दीपक यादव व वादनी क्रम 2 का नाम कंवरबाई के स्थान पर यश कंवर यादव दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।